


(64)



न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विल

क्र० एक/विविध/छतरपुर/भू-रा./2017/2625 3522

श्री. श्री. राजनी अशोक शर्मा ब्रजलाल ----- आवेदक
द्वारा आज दि. 25/9/17 को विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदक

सुत
25-9-17
क्लर्क ऑफ कोर्ट

न्यायालय मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

123/10/17

भूल-सुधार वाक्य आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

- 1- यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा प्र0क्र0 एक/विविध/छतरपुर/भू-रा./2017/2625 में दिनांक 30.08.2017 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें भूलवश टंकण की त्रुटि से उक्त आदेश के प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ-2 में ऊपर से दूसरी लाइन में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है।
- 2- यह कि, आदेश के पृष्ठ क्रमांक-3 के पैराग्राफ-5 के नीचे से लाइन नम्बर-4 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है।
- 3- यह कि, उक्त आदेश के ही आदेश के पृष्ठ क्रमांक-3 के पैराग्राफ-6 के ऊपर से लाइन नम्बर-3 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि उक्त आदेश के प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ-2 में ऊपर से दूसरी लाइन लाइन में 238/1/1 के स्थान पर 242/1/1 एवं पृष्ठ क्रमांक-3 के पैराग्राफ-5 के नीचे से लाइन नम्बर-4 में 238/1/1 के स्थान पर 242/1/1 एवं पृष्ठ क्रमांक-3 के पैराग्राफ-6 के ऊपर से लाइन नम्बर-3 में 238/1/1 के स्थान पर 242/1/1 टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 25/09/17

स्थान- ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/विविध/छतरपुर/भू.रा./2017/3522

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
6-10-17	<p>आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण क्रमांक एक/विविध/छतरपुर/भू.रा./2017/2625 में पारित आदेश दिनांक 30.8.17 प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ-2 में ऊपर से दूसरी लाईन में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है। इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक -3 पैराग्राफ-5 में नीचे से लाईन -4 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है। इसी प्रकार आदेश के पृष्ठ क्रमांक -3 पैराग्राफ-6 में ऊपर से लाईन -3 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 के स्थान पर 238/1/1 टंकित हो गया है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि सर्वे क्रमांक 238/1/1 के स्थान पर भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 के स्थान पर प्रथम पृष्ठ पर पैराग्राफ-2 में ऊपर से दूसरी लाईन में भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 पढ़ा जावे। इसी प्रकार पृष्ठ क्रमांक -3 पैराग्राफ-5 में</p>	

//2//

नीचे से लाईन -4 में भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 के स्थान पर भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 पढ़ा जावे। आदेश के पृष्ठ क्रमांक -3 पैराग्राफ-6 में ऊपर से लाईन -3 में भूलवश भूमि सर्वे नम्बर 238/1/1 हो गया है, उसके स्थान पर भूमि सर्वे नम्बर 242/1/1 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश की मूल अंग मानी जावेगी।


सदस्य

M